Anant Raj Limited

(Formerly Anant Raj Industries Limited)
CIN : L45400HR1985PLC021622
Head Off: H-65, Connaught Circus, New Delhi-110 001
Tel: 011-43034400, 23324127, 23323880 **Fax:** 011-43582879
E-mail: info@anantrajlimited.com **Website:** www.anantrajlimited.com
Regd. Office: CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana-122051
Tel: (0124) 4265816

Anant Raj Group

ARL/CS/12931 **June 20, 2019**

The Manager Listing Department **B S E Limited**, Phiroze Jee Jee Bhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 **Scrip code: ANANTRAJ 515055**	The Secretary, **National Stock Exchange of India Limited**, "Exchange Plaza", 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051 **Scrip code: NSE ANANTRAJ EQ**

Sub: Submission under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith, a copy of Public Notice published today i.e. June 20, 2019 in English and Hindi Language Newspapers i.e Financial Express and Jansatta respectively, pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Anant Raj Limited

Manoj Pahwa
Company Secretary
A7812

Encl.: as above

Govt proposes to wai

registration fee for E

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, June 19

THE GOVERNMENT ON Wednesday proposed to waive registration charges for electric vehicles to boost adoption of environment-friendly vehicles.

The proposal comes at a time when the country plans high penetration of such vehicles by 2030.

Issuing the draft notification to amend the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989, the road transport and highways ministry said battery-operated vehicles "shall be exempted from the payment of fees for the purpose of issue or renewal of registration certificate and assignment of new registration mark".

The exemption will apply to all category of vehicles, including two-wheelers.

The ministry has issued the draft notification for amendments in CMVR where the amendments in Rule 81 are proposed for such waiver.

The amendments will be done in exercise of the powers conferred on the central government under various sections of the Motor Vehicles Act, 1988. Comments from stakeholders have been sought in a month.

"The said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public," the draft notification said.

The objections or suggestions that may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by

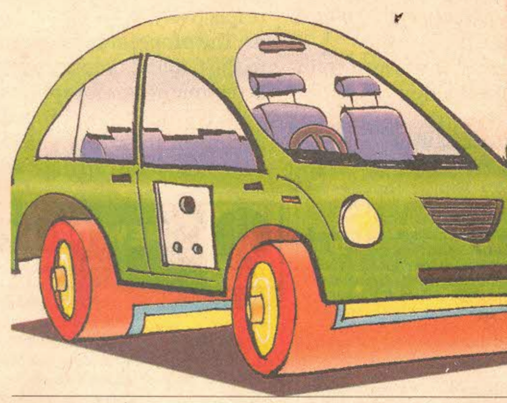

the central governme

Last year, Road T
and Highways Mini
Gadkari said a blue
been drawn to boos
tion of electric vehic
country and take the
15 per cent of total
biles in the next five

It is time India sho
to promote green veh
curb pollution, Gadk

Earlier to promot
vehicles in India, the
ment had approve
licence plates beari
bers in white fonts fo
e-vehicles and yellow

ody seeks extension of GST

n filing by four months

F INDIA
19

L consultants
complained
-limit of three
o file the GST
7-18 as hun-
nents, notifica-
ars have made
plex.
e Tax Bar Asso-
of over 400
rtered accoun-
ecretaries, cost
x consultants,
vernment has
GST procedure
rns very "con-
hundreds of
les and taxes".
nment made
nual returns 9,
017-18 online
and offline in
ter nearly 20
ey are giving

only three months to understand and file the most complex return form in the history of Indian taxation," Tax Bar Association (TBA) president Gopal Singhania said at a press conference here.

"To illustrate the intensity, it may be noted that besides major amendment in the GST Act in February 2019, over 200 tax notifications, including amendments in rules, about 180 tax rate notifications, over 100 circulars, 20 orders, over 125 press releases and over 50 FAQ series and flyers have been issued till the date," Singhania said.

UP mulls cess on sugar to handle distre

DEEPA JAINANI
Lucknow, June 19

THE UTTAR PRADESH government plans to introduce a marginal cess on sugar to fund the ailing sector to handle distress. The proposal was mooted at the chief minister's review meeting of the sugarcane and excise departments.

The proposal to introduce a UP sugar and sugarcane development fund aims at helping the ailing sector, especially sugarcane growers who have been battling delayed payments year over year.

Besides, the fund will also be used for the welfare of sugarcane farmers and building other facilities such as toilets, restrooms, drinking water for them. Cane commissioner Sanjay Bhoosreddy told *FE* that the proposal has got an in-principle approval in the meeting today and will be further sent for legal vetting before the modalities are finalised.

"We are trying to build a corpus in a few years that will be enough to handle the distress in whichever crisis that hits the sector, be it bui
sugarcane infrastructu
making on-time payme
farmers. The idea is to
late the treasury from
sugar sector as the gov
ment cannot keep fun
the sector every time a
hits it," he said, adding
both the state and ce
governments have alr
pumped in approxima
₹11,000 cr in funding
sugar sector through var
schemes, both thro
grants and loans in the
two years.

IIM Lucknow

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW

INVITES APPLICATIONS FOR

18th One year Part-time General Management Programme for Executives 2018-19

(with 240 hours of teaching in four "on-campus modules" of 9 days each

INC-26"
the Companies
Rules, 2014]
hed in the newspaper
ce of the company from

Government
elhi), Northern Region
n (4) of Section 13 of
use (a) of sub-rule (5) of
orporation) Rules, 2014

ELECTRICA PRIVATE
DL2007PTC159059),
ce at 4A/10, Second
elhi - 110060
.........Petitioner
he General Public that
make application to the
onal Director, Northern
er section 13 of the
eking confirmation of
m of Association of the
ecial resolution passed
eral meeting held on
2019 to enable the
gistered Office from
of Delhi to the State

s likely to be affected by
registered office of the
on the MCA-21 portal
nvestor complaint form
end by registered post
orted by an affidavit
nterest and grounds of
Director at Northern
r Paryavaran Bhawan
110003 within fourteen
on of this notice with a
any with a copy of the
egistered office at the

econd Floor,
110060
behalf of the Applicant
ICA PRIVATE LIMITED
Sd/-
Sanjeev Bha na
(Director)
DIN- 008 29
ctor-27, Noida- 201 01

ANANT RAJ LIMITED

Anant Raj Group

(Formerly known as ANANT RAJ INDUSTRIES LTD.)
CIN: L45400HR1985PLC021622
Regd. Office : Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, **Gurgaon, Haryana-122051**
Head Office: H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001
Phone : 011- 43034409, 41540070, 43559149
E-mail : manojpahwa@anantrajlimited.com, Website: www.anantrajlimited.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Notice is hereby given pursuant to section 124 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting , Audit , Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ('IEPF Rules 2016'), and other applicable provisions of the Act, if any, that the Company will transfer of all the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by a shareholder for a period of seven consecutive years or more to the DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. Shareholders are hereby informed that pursuant to above mentioned Rules, the dividend for the year 2011-2012 which remained unclaimed for a period of seven years will be due for transfer to the IEPF on October 27, 2019. Further, the corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

Please note that dividend for the financial year 2010-2011, remained unpaid/unclaimed, has already been transferred to IEPF Authority along with corresponding shares.

In compliance with the rules, the Company has already sent individual notice(s) to those shareholders, at their latest available addresses, whose dividend amount is lying unencashed for past seven consecutive years and the corresponding equity shares are liable to be transferred to the DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. The list of such shareholders including names of such shareholders and their folio number or DPID-Client ID is available on Company's website www.anantrajlimited.com . Shareholders are requested to verify the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of dematerialisation and transfer of shares to IEPF Authority as per Rules and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the new share certificate into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Shareholders holding shares in dematerialized form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of IEPF.

The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website shall be deemed adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

Shareholders are requested to claim the dividend declared during the financial year 2011-12 and onwards before the same is transferred to the IEPF.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders, on or before September 26, 2019, the Company will be constrained to transfer the dividend to the IEPF by the due date i.e October 27, 2019, in compliance with the rules. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the company in respect of unclaimed dividend as well shares transferred to IEPF. Shareholders can claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

In case shareholder(s) have any query on the subject matter and the Rules, they may contact giving necessary details (i.e. Folio no., DP-ID (if any), current address and Contact numbers) at the earliest, to the Company at its Head Office address as mentioned above OR to Alankit Assignments Limited, Company's Registrar & Share Transfer Agent at **Alankit House, 3E/7, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 at 011-42541955, 42541960 or write an Email at :- rta@alankit.com**

By order of the board
For **Anant Raj Limited**
sd/-
Manoj Pahwa
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 19-06-2019

आइआइटी दिल्ली, बॉम्बे शीर्ष 200 में शामिल

दिल्ली विश्वविद्यालय 487वें से 474वें स्थान पर पहुंचा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 जून।

भारत के तीन शैक्षणिक संस्थान आइआइटी दिल्ली, आइआइटी बॉम्बे और बंगलुरु स्थित आइआइएससी ने क्वैकक्वरेली साइमोंड्स (क्यूएस) वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष 200 संस्थानों में अपनी जगह बनाई है। साथ ही, हरियाणा के सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) लंदन में जारी की गई क्यूएस वैश्विक रैंकिंग 2020 में शीर्ष 1000 में शामिल किया जाने वाला सबसे नया (नव स्थापित) विश्वविद्यालय हो गया है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले साल के 487वें स्थान से 474वें स्थान पर पहुंच गया है।

आइआइटी मद्रास, आइआइटी खड़गपुर, आइआइटी कानपुर और आइआइटी रुड़की शीर्ष 400 संस्थानों में शामिल हैं। आइआइटी गुवाहाटी 491 स्थान पर है, जबकि उसके पिछले साल की रैंकिंग 472 थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया कि यह बड़े ही गर्व की बात है कि

क्यूएस विश्व रैंकिंग

प्रतिष्ठित क्यूएस रैंकिंग में आइआइटी बॉम्बे, आइआइटी दिल्ली और आइआइएससी (बंगलुरु) शीर्ष 200 संस्थान में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं हर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हम अन्य संस्थानों को भी शैक्षणिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में शीर्ष पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा सचिव आर सुब्रहमण्यम ने ट्वीट किया कि वैश्विक रैंकिंग में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा संस्थान आइआइटी खड़गपुर है जिसने पिछले साल की तुलना में 14 पायदान की छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में अन्य संस्थानों में जामिया मिलिया इस्लामिया, जादवपुर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय शामिल हैं।

जेजीयू के संस्थापक कुलाधिपति नवीन जिंदल ने कहा कि क्यूएस वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में जेजीयू का आना एक असाधारण उपलब्धि है क्योंकि हम अपनी स्थापना की दसवीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

सुब्रमणियम के दावे को खारिज किया पीएमइएसी ने

नई दिल्ली, 19 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमइएसी) ने 2011 के बाद जीडीपी के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियम के दावे को बुधवार को खारिज कर दिया। पीएमइएसी ने कहा कि पूर्व सीइए के विश्लेषण में सेवाओं और कृषि के आंकड़ों की अनदेखी की व एक निजी कंपनी सीएमआइइ पर आंख मूंदकर भरोसा किया।

जीडीपी अनुमान पर पीएमइएसी की तरफ से जारी 12 पृष्ठ की एक रिपोर्ट में कहा कि एक बड़ी और जिम्मेदार अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुमान का तरीका वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

महाराष्ट्र के स्कूली किताबों में बदलेगी महिलाओं की छवि

पुणे, 19 जून (भाषा)।

स्कूली छात्रों की कई पीढ़ियां ऐसी पाठ्यपुस्तकें पढ़ कर बड़ी हुई हैं जिसमें मां की छवि रसोई में सब्जियां काटने की जबकि एक पिता की समाचारपत्र पढ़ने की रही है, लेकिन महाराष्ट्र में अब यह स्थिति बदलेगी।

अधिकारियों ने कहा कि बदलते सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए राज्य के पाठ्यक्रम बोर्ड बालभारती ने लैंगिक समानता को बरकरार रखने और महिलाओं को अधिक प्रगतिशील तरीके से पेश करने के लिए अपनी पाठ्यपुस्तकों में कई चित्रों और पाठों में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि संशोधित पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य लैंगिक रूढ़िवाद से छुटकारा पाना है।

बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि बालभारती रूढ़िवाद को तोड़ना चाहता है और इसलिए उसने कक्षा दो की संशोधित पाठ्यपुस्तकों में ऐसे चित्र और पाठ शामिल किए हैं जिनमें पुरुषों और महिलाओं को घरेलू कार्य साझा रूप से करते हुए दिखाया गया है।

भारत सरकार
लोकबोर्ड चयन उद्यम

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

में

प्रबंध-निदेशक

पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड मे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि
20 अगस्त, 2019 (15.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉगइन करें।

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी फरीदाबाद
एससीओ-98, प्रथम एवं द्वितीय तल, सैक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद,
फोन: 0129-2289222, फैक्स: 0129-2290222

कब्जा सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (अधिनियम), 2002 के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 18.06.2018 जारी की जिसमें कर्जदारों/गारंटरों श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री आत्म स्वरूप चौधरी एवं श्रीमती शोभिता चौधरी पत्नी श्री राकेश चौधरी निवासी मकान नंबी-103, हरे कृष्णा अपार्टमेंट, सीएचजीएस, सैक्टर-45, फरीदाबाद-121001 को कथित सूचना में उल्लिखित राशि 17.06.2019 को रु. 45,13,535.00 (पैतालीस लाख तेरह हजार पांच सौ पैतीस रुपए) + 18.06.2019 से ब्याज और उस पर उपार्जित व्यय, लागत एवं प्रभार का पुनर्भुगतान कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया। कर्जदार/गारंटर खाता सं. 32587491355 के जरिए राषि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे हैं इसलिए एतद्द्वारा विशेषकर कर्जदारों/गारंटरों एवं आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा 11 जून, 2019 को ले लिया है।

विशेषकर कर्जदारों/गारंटरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का लेनदेन न करें और कथित सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन भारतीय स्टेट बैंक को 12.06.2019 को रु.43,48,342.00 (तैतालीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ बयालीस रुपए) प्लस 13.06.2019 से ब्याज और उस पर उपार्जित व्यय, लागत एवं प्रभार का भुगतान करने के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री राकेश चौधरी एवं श्रीमती शोभिता चौधरी के नाम पर सम्पत्ति फ्लैट नं. बी-103, हरे कृष्णा अपार्टमेंट, जीएच-01, सैक्टर-45, फरीदाबाद, सम्पत्ति का कार्पेट एरिया 2141 वर्ग फीट।

तिथि: 18.06.2019
स्थान: फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी

पी.के. सैल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापक का पता: 105-107, वर्धमान प्रीमियम माल, दीपाली चौक, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
सम्पर्क: +91-9310278000, ईमेल आईडी: liquidator.pksalescompany@gmail.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना

दिवाला एवं दिवालिया संहिता 2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमन के अंतर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्तियों की वेबसाईट http://nclt/auction.auctiontiger.in के माध्यम से सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger) द्वारा ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।

नीलामी की तिथि एवं समय	गुरुवार, 27.6.2019 को 1.00 बजे अप. से 2.00 बजे अप.
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	22.6.2019 को 5.00 बजे सायं से पूर्व
निरीक्षण की तिथि एवं समय	24 एवं 25.6.2019 को 12 बजे अप. से 5.00 बजे सायं तक। निरीक्षण के लिये सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम श्री राकेश भाटिया, सम्पर्क नं. 9310278000, 9810378000 है।

लॉट नं.	विवरण	आरक्षित मूल्य (लाखों में)	ईएमडी (रु.) (लाखों में)
1.	सम्पत्ति का पता: जी-30 जीएफ, मंगलम पैराडाइज, प्लॉट नं. 8, मंगलम प्लेस, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली- 110085 सम्पत्ति का विवरण: सुपर एरिया लगभग 4947.38 वर्ग फीट, फ्रान्ट कॉर्नर, स्क्वायर शेप जिसका कब्जा परिसमापक के पास है।	11,77,00,000/-	1,17,00,000/-
2.	मारुति डिजायर कार VDI (दिल्ली पंजीकरण)	1,70,000/-	17,000/-

ईएमडी (अप्रतिदेय) का भुगतान 22.6.2019 को या उससे पूर्व "पी.के. सैल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)" की खाता, खाता नं. 5422000100135101 तथा आईएफएससी कोड KARB0000542 में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा इच्छुक बोलीदाता को करना होगा। ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखें। ई-नीलामी से संबंधित किसी भी जिज्ञासा के लिये श्री तिलक मराठा (एम: 6351896834), अथवा tilak@auctiontiger.net या परिसमापक से उनके ई-मेल liquidator.pksalescompany@gmail.com पर सम्पर्क करें।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 6.6.2019

हस्ता./-
राकेश भाटिया
मै. पी.के. सैल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
(परिसमापन में) के परिसमापक
आईपी पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-18/11608

ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा: चंदावली, फरीदाबाद, हरियाणा-121004

कब्जा सूचना {नियम 8(1) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिए}

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, रिजोल्यूशन रिकवरी एवं लॉ, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 20 मार्च, 2019 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदार श्री भगवत दयाल एवं रजनी बाला को सूचना में उल्लिखित राशि रु. 9,65,867.00/- (नौ लाख पैसठ हजार आठ सौ सड़सठ रुपए) का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था।

उपरोक्त कथित कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार, गारंटर तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 18 जून, 2019 को ले लिया है। कर्जदार/गारंटर को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्यतः एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा चंदावली, फरीदाबाद को 31.05.2019 को रु. 9,72,210.00/- (नौ लाख बहत्तर हजार दो सौ दस रुपए) और उस पर ब्याज के भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

उप-पंजीयक पलवल, जिला पलवल के पंजीकरण के भीतर श्रीमती मैन वती पत्नी भीम सिंह के नाम पर गली नं. 1, गोदाम कृष्णा कॉलोनी, राम नगर रेलवे रोड के सामने, पलवल, में स्थित ईक्यूएम में शाामिल सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से, एरिया परिमाप 111 वर्ग यार्ड जो कि 107 किला नं. 3(7-15) का भाग एवं 15/620 स्टेडिंग की सीमा में है और जो निम्नानुसार घिरी है: उत्तर में: श्री महेश का मकान, दक्षिण में: श्री मनु राम पेहरा का मकान, पूर्व में: गली, पश्चिम में: श्री केशव का मकान।

दिनांक : 18.06.2019 स्थान : फरीदाबाद
प्राधिकृत अधिकारी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

पंचशिला हॉस्पिटैलिटी वेन्चर्स लिमिटेड
सीआईएन – U55101HR1987PLC035044
पंजीकृत कार्यालय : बीएलबी 123, दि बेलायर, डीएलएफ सिटी, फेज-5, गुड़गांव – 122003
ईमेल आईडी – njkanwar@hotmail.com
सम्पर्क नम्बर – +91-9811152675

"प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए"
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41(5)(क) के अनुसरण में]
पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट मंत्रालय
उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के विषय में
तथा
पंचशिला हॉस्पिटैलिटी वेन्चर्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बीएलबी 123, दि बेलायर, डीएलएफ सिटी, फेज-5, गुड़गांव – 122003 में स्थित है, के विषय में
.........आवेदक

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी को पब्लिक कम्पनी से प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए 28 मई, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी को ऐसे परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ पठित उपरोक्त नियमावली के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छुक है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/कम्पनी की हैसियत से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003) को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :
बीएलबी 123, दि बेलायर, डीएलएफ सिटी, फेज-5, गुड़गांव – 122003

कृते एवं हिते आवेदक
पंचशिला हॉस्पिटैलिटी वेन्चर्स लिमिटेड
हस्ता./-
नरिन्दर जीत सिंह कंवर
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 01251025
डी 179 डिफेंस कालोनी दिल्ली 110024

तिथि : 19.06.2019
स्थान : गुड़गांव

फॉर्म नं. यूआरसी-2
अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना का विज्ञापन
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा को इस संबंध में 15 दिन लेकिन इसके बाद तीस दिन की समाप्ति से पूर्व एक आवेदन करने का प्रस्ताव किया जाता है कि वेस्टचार्ज एलएलपी, एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी का मूल उद्देश्य निम्न प्रकार से है:- i) औद्योगिक, परिवहन, वाणिज्यिक एवं कंज्यूम्टिव प्रयोजन के लिए प्रयुक्त या अपेक्षित चार्ज स्टेशनरी बैटरियों, स्टार्टिंग बैटरियों, सोलर पावर बैटरियों, मिनी बैटरियों, इमरजेंसी लाइटों, ड्राई सेल्स एवं अन्य बैटरियों में उपयोग होने के वाले सभी चार्जर्स, उनके कम्पोनेंट, पार्ट्स, सामग्री, वस्तु प्रणाली, कंज्यूमेबल एसेसरीज या फिटिंग्स सहित केस, वायर, नॉब, एसेसरीज, आर्मेचर एवं आर्मेचर वाइंडिंग, इलेक्ट्रिकल वायर एवं एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जनरेटर्स, एक्युमुलेटर्स, रिले, ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल स्विच, प्लग, सॉकेट, सर्किट ब्रेकर, एक्युएटर्स, कनेक्टर्स, मापक उपकरणों, मल्टीमीटर एवं मल्टी टेस्टर एवं इलेक्ट्रिकल कनेक्टरों के विनिर्माता, एसेम्बलर्स, प्रोसेसर्स, उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, मरम्मतकर्ता, खरीददार, विक्रेता, निर्यातक, आयातक, मेकर्स, फैब्रिकेटर्स एवं डीलर के रूप में व्यवसाय का निष्पादन करना।
ii) वाणिज्यिक, मेडिकल, परिवहन, सिग्नलिंग, लाइटिंग, हीटिंग, मोटिव पावर, पावर स्टेशनों, एक्सचेंजों, कंट्रोलिंग एवं सिग्नलिंग उपकरणों के साथ कनेक्शन के लिए या प्रयोग के लिए अपेक्षित ट्रांसफार्मर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स, बैटरी चार्जर्स, बैटरी इलिमिनेटर्स, वोल्टेज टेस्टिंग सेट्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, कंडक्टर्स, एनेमल्ड वायर्स, कॉटन/पेपर कवर्ड कंडक्टर्स, स्विचों एवं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स और अन्य कम्पोनेंट, पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एवं अन्य अपेक्षित वस्तुओं का अनुसंधान, विकास, डिजाइन, विनिर्माण, उत्पादन, एसेम्बल, आयात, निर्यात या अन्य व्यवसाय करना।
iii) उपरोक्त खण्ड (i) एवं (ii) में दक्षता से वर्णित वस्तुओं के प्रोत्साहन के लिए जरूरत के अनुसार किसी अन्य व्यवसाय का निष्पादन करना।
3. प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम की प्रति का निरीक्षण 1113, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली-110001 में स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक प्रति सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सैक्टर-5, आईएमसी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा, भारत, 122050 को भेज सकता है।

आवेदक(कों) का नाम:
1. प्रणव नागपाल
2. राधिका नागपाल

दिनांक 30 मई, 2019

---

pnb Housing Finance Limited
पंजी. कार्यालय: 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईट: www.pnbhousing.com
शाखा का पता: डी-2, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र.-201301, फोन: 0120-6511224-26, ई-मेल: noida@pnbhousing.com, वेबसाईट: www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना(ओं) की तिथि/ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा ऋण अनुबंधों के अनुसार उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारन्टर का नाम	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
1.	एचओयू/एनओआई/0317/362049 बी.ओ.: नोएडा सेक्टर-3	श्री अरुण सिंह कौरव एवं सुश्री प्रीति कौरव	19.11.2018	रु. 3084319.62 (रुपये तीस लाख चौरासी हजार तीन सौ उन्नीस एवं पैसे बासठ मात्र)	15.06.2019 (सांकेतिक)	ग्राम नूर नगर, राज नगर एक्सटेंशन, ऑफीसर सिटी के निकट, गाजियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश में 1457, 13, टावर जी, गौर कैस्केड्स, नं. 1062 मिन, 1063 मिन तथा 1097 मिन।

स्थान: नोएडा तिथि: 19.06.2019
प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-II
11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001
ईमेल : sbi.50950@sbi.co.in, फोन : 011-23701208, 011-23701209

नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का नं. 3) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत **कर्जदार मैसर्स गोपिश फार्मा लिमिटेड, एच-1455, सैक्टर-एच, डीएसआईआईडीसी, नरेला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-110040 और निम्नलिखित निदेशक/गारंटर्स मैसर्स गोपिश फार्मा लिमिटेड, एच-1455, सैक्टर-एच, डीएसआईआईडीसी, नरेला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110040, और: रोपड़ रोड, घेरोवाल बैरियर के पास, गाँव बेहरामपुर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश – 174101 (1) श्री रतीश गोयल पुत्र श्री रवि प्रकाश गोयल (निदेशक एवं गारंटर) ए-96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, (2) श्री रवि प्रकाश गोयल पुत्र श्री हरि देव गोयल, (गारंटर), ए-96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, (3) श्रीमती संतोष गोयल पत्नी श्री रवि प्रकाश गोयल, और: ए-96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली -110034 को मांग नोटिस दिनांक 13.02.2019 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रु. 11,48,34,435.73 (रु. ग्यारह करोड़ अड़तालीस लाख चौतीस हजार चार सौ पैतीस और पैसे तिहत्तर मात्र) दिनांक 30.03.2017 तक और** संविदात्मक दर पर **भविष्य का ब्याज साथ में सभी आकस्मिक खर्चें, लागत, प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने निम्नवर्णित **संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4)** के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत **दिनांक 14.06.2019** को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्तियों के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक**, के प्रभार वास्ते **रु. 11,48,34,435.73 (रु. ग्यारह करोड़ अड़तालीस लाख चौतीस हजार चार सौ पैतीस और पैसे तिहत्तर मात्र) दिनांक 30.03.2017 तक और** संविदात्मक दर पर **भविष्य का ब्याज साथ में सभी आकस्मिक खर्चें, लागत, प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के संशोधित प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा, निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही आप बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते है। कृप्या ध्यान रहे कि यदि आप सार्वजनिक सूचना द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते है तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

अचल संपत्तियों का विवरण

(1) प्लॉट नं. 1455, ब्लॉक-एच, डीएसआईआईडीसी, नरेला में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रवि प्रकाश गोयल के नाम पर है। क्षेत्रफल 418.6 वर्ग गज
(2) प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 5 बीघा, 5 बिस्वा जोकि खतौनी नं. 2/14, खसरा नं. 336/19, किता, गाँव बेहरामपुर हदबस्त 104, परगना और तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स गोपिश फार्मा लि. के नाम पर है।

दिनांक : 14-06-2019, स्थान : दिल्ली/नालागढ़
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of the corporate debtor	**Novex Private limited**
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	11.02.1960
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U74899DL1960PTC003190
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Plot No 2, Behind GPO, Kashmere Gate, New Delhi-110006
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	10.12.2018
7.	Date of invitation of expression of interest	**20/06/2019** (Previously 14/05/19 and 28/02/19)
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The Resolution Applicant jointly or severally should have net worth of Rs. 40 lac as on 31.03.2019 Further information, if any, can be obtained by sending email at ajayjain721@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Information with respect to Section 29A of the Code can be obtained by sending email at ajayjain721@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	**05/07/2019** (Previously 17/05/19 and 15/03/19)
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	**10/07/2019** (Previously 21/05/19 and 25/03/19)
12.	Last date for submission of objections to provisional list	**15/07/2019** (Previously 22/05/19 and 30/03/19)
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	**18/07/2019** (Previously 23/05/19 and 09.04/19)
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	**20/07/2019** (Previously 25/05/19 and 23/03/19)
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Information can be obtained by sending email at ajayjain721@gmail.com The said information shall be shared after getting undertaking of confidentiality u/s 29 (2) of the Code.
16.	Last date for submission of resolution plans	**26/07/2019** (Previously 30/05/19 and 29/04/19)
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Through speed post/courier in sealed cover : Mr. Ajay Kumar Jain, Resolution Professional E-15/209, Sector-8, Rohini, New Delhi-110085 and Also soft copy by email: ajayjain721@gmail.com
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	**31/07/2019** (Previously 04/06/19 and 29/05/19)
19.	Name and registration number of the resolution professional	**Mr. Ajay Kumar Jain** IBBI/IPA-002/IP-N00415/2017-18/11188
20.	Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	**Mr. Ajay Kumar Jain** **Address:** E-15/209, Sector-8, Rohini, New Delhi-110085 **Email ID:** ajayjain721@gmail.com
21.	Address & email to be used for correspondence with the resolution professional	**Address:** E-15/209, Sector-8, Rohini, New Delhi-110085 **Email ID:** ajayjain721@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	Can be obtained by sending email at: ajayjain721@gmail.com
23.	Date of publication of Form G	**20.06.2019**

Date : 20/06/2019
Place: New Delhi

Mr. Ajay Kumar Jain
IBBI/IPA-002/IP-N00415/2017-18/11188
Resolution Professional of **Novex Private Limited**

अनंत राज लिमिटेड
(पूर्व में अनंत राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड)
Anant Raj Group
CIN: L45400HR1985PLC021622
पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर, गुड़गाँव; हरियाणा-122051,
प्रधान कार्यालय: एच-65, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001,
टेली.: 011-43034409, 41540070, 43559149
ई-मेल: manojpahwa@anantrajlimited.com, वेबसाईट: www.anantrajlimited.com

कम्पनी के शेयरधारकों के लिए सूचना
निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण एवं रिफंड) नियमावली, 2016 , समय-समय पर यथा संशोधित ("आईईपीएफ नियमावली 2016' तथा यदि कोई हो, अधिनियम के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ऐसे सभी शेयरों को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित करेगी जिसके संदर्भ में लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा शेयरधारक द्वारा उसका दावा नहीं किया गया है। एतद्द्वारा शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नियमावली के अनुपालन में वर्ष 2011-2012 के लिए लाभांश जो सात वर्षों की अवधि से दावा-रहित रहा है, को 27 अक्तूबर, 2019 को आईईपीएफ में अंतरित करना नियत है। पुनः तत्स्थानीय शेयरों जिस पर लगातार सात वर्षों से दावा-रहित रहा है, को भी नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जोगा।

कृपया ध्यान रहे कि वर्ष 2010-2011 के लिए लाभांश जो अप्रदत्त/ दावा-रहित रहा था, को तत्स्थानीय शेयरों के साथ आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित कर दिया गया है।

नियमावली के अनुपालन में कम्पनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना(ऐं) भेज दी है जिनका पिछले सात लगातार वर्षों से लाभांश राशि भुनाया नहीं गया है तथा तत्स्थानीय इक्विटी शेयरों को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित किया जाना है। ऐसे शेयरधारकों के नाम, उनकी फोलियो संख्या अथवा डीपीआईडी-क्लाइन्ट आईडी सहित ऐसे शेयरधारकों की सूची कम्पनी की वेबसाईट **www.anantrajlimited.com** पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किये जाने वाली अनएन्कैश्ड लाभांश तथा शेयरों के विवरणों की जांच कर लें।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों तथा जिनके शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाना है, यह ध्यान रखें कि नियमावली के अनुसार डीमैटोरियलाईजेशन तथा आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा धारित मूल की जगह कम्पनी नया शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) जारी करेगी तथा उसे जारी करने के उपरांत कम्पनी डीमैट पद्धति में नए शेयर प्रमाणपत्र रूपांतरित करने तथा आईईपीएफ की डीमैट खाता के पक्ष में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणों को नियमावली के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के निर्गम के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि आईईपीएफ में उसे अंतरित किए जाने से पूर्व वित्त वर्ष 2011-12 तथा आगे के दौरान घोषित लाभांश का दावा प्रस्तुत करें।

यदि कम्पनी 26 सितम्बर, 2019 को या उससे पूर्व संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं करती है तो नियमावली के अनुपालन में कम्पनी नियत तिथि अर्थात 27 अक्तूबर, 2019 तक लाभांश आईईपीएफ में अंतरित करने के लिए बाध्य होगी। तत्स्थानीय शेयरों जिस पर लगातार सात वर्षों से लाभांश दावा-रहित रहा है, उसे भी आगे बिना किसी सूचना के अंतरित कर दिया जाएगा।

कृपया ध्यान रहे कि आईईपीएफ में अंतरित दावा-रहित लाभांश के साथ-साथ शेयरों के संदर्भ में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं की जा सकेगी। नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर शेयर धारक ऐसे शेयरों पर, यदि कोई हो, उपचयित सभी लाभों सहित आईईपीएफ में अंतरित लाभांश तथा तत्स्थानीय शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।

यदि इस विषय तथा नियमावली पर शेयरधारक(कों) का कोई प्रश्न हो तो वे यथाशीघ्र आवश्यक विवरणों (जैसे फोलियो नं., डीपी-आईडी (यदि कोई हो), वर्तमान पता तथा सम्पर्क का विवरण) को देते हुए उसके प्रधान कार्यालय के उपरोक्त पते पर कम्पनी से अथवा अलंकित एसाइन्मेन्ट्स लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट से अलंकित हाउस, 3ई/7, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 से 011-42541955, 42541960 पर सम्पर्क करें अथवा rta@alankit.com पर ई-मेल करें।

बोर्ड के आदेश से
अनंत राज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
मनोज पहवा
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 19.6.2019

सोनल मर्केन्टाइल लिमिटेड
CIN: L51221DL1985PLC022433, टेली. नं.: 011-49091417
पंजी. कार्यालय: 372, वर्धमान प्लाजा, IIIरा तल, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
ईमेल: sonalmercantile@yahoo.in, वेबसाईट: www.sonalmercantile.in

34वी वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:
1. कम्पनी की 34वीं वार्षिक साधारण सभा 372, वर्धमान प्लाजा, IIIरा तल, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में शुक्रवार, 12 जुलाई, 2019 को 2.00 बजे अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
2. एजीएम की सूचना तथा 2019 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत हैं। वह कम्पनी की वेबसाईट www.sonalmercantile.in पर भी उपलब्ध है। एजीएम तथा 2019 के वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति अन्य सभी सदस्यों के स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। एजीएम की सूचना का प्रेषण 18.6.2019 को पूरा कर लिया गया है।
3. 5.7.2019 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के किसी अन्यत्र स्थान सेएनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

i. एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।
ii. रिमोट ई-वोटिंग 9 जुलाई, 2019 को 10.00 बजे पूर्वा. में शरू होगी।
iii. रिमोट ई-वोटिंग 11 जुलाई, 2019 को 5.00 बजे सायं में बंद होगी।
iv. इलेक्ट्रॉनि माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान के लिये पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 5 जुलाई, 2019 है।
v. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित किये हों तथा कम्पनी का सदस्य बने हों, तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 5 जुलाई, 2019 को शेयरधारित करते हों तो वे evoting.@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति ई-वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
vi. सदस्यगण ध्यान रखें कि: क) उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद मतदान के लिये एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी; ख) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी; ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर देने के बाद में सदस्य साधारण सभा में शामिल हो सकते हैं लेकिन सभा में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, तथा घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रतिबंधित लाभभोगी स्वामी के रजिस्टर में शामिल होगा, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे।
vii. एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.sonalmercantile.in तथा साथ ही एनएसडीएल की वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है; तथा
viii. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य एफएक्यू'ज देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800222990 पर कॉल करें अथवा sonalmeracntile@yahoo.in पर अनुपालन अधिकारी को लिखें।

पुस्तक बंद होना

सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 5 जुलाई, 2019 से 12 जुलाई, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

सोनल मर्केन्टाइल लिमिटेड के लिये
हस्ता.
श्री विक्रम गोयल
पूर्ण कालिक निदेशक

तिथि: 18 जून, 2019
स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
राठी सुपर स्टील लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	राठी सुपर स्टील लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	22 अप्रैल, 1991
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार,दिल्ली भारत, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74899DL1991PLC044043
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट नं. 207, वर्धमान मयूर मार्केट, सीएससी मयूर विहार फेज-III, कोंडली घरोली दिल्ली-110096 कार्पोरेट कार्यालय: ए-6/35, प्रथम तल, जी.टी.रोड के दाहिने भाग में, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	12 जून, 2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	9 दिसम्बर, 2019
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	नाम: हरीश चन्दर अरोड़ा पंजीकरण सं. आईबीबीआई/आईपीए-003/आईपी-एन00077/2017-18/10700
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेल:	पंजी पता: ए-189, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 ईमेल: harisharora2012@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पता: रीसर्जेन्ट इंडिया लिमिटेड, 903-906, 9वां तल, टावर-सी, यूनीटेक बिजनेस जोन, निर्वाण कन्ट्री, सेक्टर-50, गुरुग्राम, हरियाणा-122018 ईमेल: cirp.rathisupersteel@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	4 जुलाई, 2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) www.ibbi.gov.in (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 12 जून, 2019 को राठी सुपर स्टील लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा राठी सुपर स्टील लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं.10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 4 जुलाई, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (लागू नही प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाए।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता/-
हरीश चन्दर अरोड़ा
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
पंजी सं. -आईबीबीआई/आईपीए-003/आईपी-एन00077/2017-18/10700

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2019

नियुक्तियां

एअर इंडिया एअर ट्रान्स्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
(एयर इंडिया लि. के सम्पूर्ण स्वामित्व की सहायक)

सीधा भर्ती

एअर इंडिया एअर ट्रान्स्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) नीचे दर्शाई गई वर्तमान रिक्तियों को भरने तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिये एक प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिये तीन वर्षों की अवधि जिसे उनके प्रदर्शन तथा कम्पनी की आवश्यकता के अनुसार नवीकृत किया जा सकता है, के लिये निर्धारित सावधि अनुबंध आधार पर एअरपोर्ट्स/स्टेशनों में ग्राउण्ड ड्यूटीज के लिये विभिन्न पदों के लिये यहाँ नीचे वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों (पुरुष एवं महिला) को तात्कालिक आधार पर भर्त्ती करने के लिये इच्छुक है।

क्रम सं.	पद	पदों की सं.	भर्ती की तिथि	स्टेशन
1.	ग्राहक एजेन्ट	111	24.06.2019	मुम्बइ-100, नासिक-4, कोल्हापुर-1, नांदेड-3, शिरडी-3
2.	डयूटी प्रबंधक-टर्मिनल	06	25.06.2019	मुम्बई
3.	ड्यूटी अधिकारी	10	25.06.2019	मुम्बई
4.	कनिष्क कार्यपालक-मानव संसाधन/प्रशासन	11	26.06.2019	मुम्बई
5.	सहायक-मानव संसाधन/प्रशासन	6	26.06.2019	मुम्बई
6.	डैटा विश्लेषक	2	27.06.2019	मुम्बई
7.	हैंडीमैन	100	28.06.2019	मुम्बई
8.	अधिकारी-मानव संसाधन/प्रशासन	1	06.07.2019	दिल्ली
9.	कनिष्क कार्यपालक-मानव संसाधन/प्रशासन	1	06.07.2019	दिल्ली

आरक्षित श्रेणियों के लिये सरकारी दिशा निर्देश लागू होगा।
आवेदन के प्रारुप तथा अन्य विवरणों के लिये कृपया हमारी वेबसाईट www.aiatsl.com (Careers)/www.airindia.in (careers) पर विज्ञापन देखें।